संख्या- 95 /2022 / 2365 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2022**

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या- 3507/सं0नि0-6(156)/2021-22 दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा गठित आगणन धनराशि रू0 2495.27 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा करते हुए, कार्य की लागत रू0 1844.42 लाख मूल्यांकित की गयी है। अतएव लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के निर्माण कराये जाने हेतु रू0 1844.42 लाख (रूपये अट्ठारह करोड़ चौवालिस लाख बयालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 800.00 लाख के सापेक्ष रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

3. प्रायोजना में इंटीरियर एक्जीबिट जैसे विशिष्ट प्रकृति के कार्य की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसिफिकेशन एवं लागत के संबंध में प्रमुख सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण कर लागत संस्तुत की जाएगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जाएगी।

4. प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। संस्कृति निदेशालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(3) प्रायोजनान्तर्गत संग्रहालय के निर्माण में प्रस्तावित सेन्ट्रल ए0सी0 एवं फसाड लाइट के क्रियान्वयन से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप सक्षम स्तर से स्वीकृत कराया जाय। उक्त कार्य हेतु सुरक्षा की दृष्टिगत से अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय की होगी तथा कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय। कार्य की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय का होगा।

(8) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो, इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय का होगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(13) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(15) प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित मात्राओं तथा प्राविधानों को कार्यान्वयन के समय सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ संस्कृति निदेशालय का होगा।

5- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4202-शिक्षा खेलकूद कला तथा संस्कृति पर पूॅजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-07-लखनऊ में उ0प्र0 जनजातीय संग्रहालय का निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7- 3543 /दस-2021-22 दिनांक 26 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 95 /2022 / 2365 (1) /चार-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, लखनऊ।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य एवं अधिष्ठाता, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्रक्शन कन्सलटेंसी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, निर्माण खण्ड-13, सेक्टर-09, वृन्दावन योजना, लखनऊ।
9. वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।